

(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III खंड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 22

नई दिल्ली, 22 जनवरी 2007

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत् द्वारा, निर्यात कार्गो के ढेर लगाने हेतु भूमि-आबंटन को शासित करने वाली सशर्तताओं में संशोधन के लिए न्यू मैंगलौर पत्तन न्यास से प्राप्त हुए प्रस्ताव को एतत् द्वारा अनुमोदन प्रदान करता है।

(अ.ल. बोंगिरवार)

अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण संख्या टीएएमपी/32/2006-एनएमपीटी

न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी)
आवेदक

आदेश

(दिसंबर 2006 के 29 वें दिन पारित)

यह प्रकरण निर्यात कार्गो के ढेर लगाने हेतु भूमि आबंटन को शासित करने वाली सशर्तताओं में संशोधन हेतु न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित हैं।

2.1. इस प्राधिकरण ने एनएमपीटी के सामान्य संशोधन प्रस्ताव से संबंधित दिनांक 9 अगस्त 2001 के अपने आदेश में, सुरक्षा दीवार के बाहर सामान के भंडारण के लिए मासिक आधार पर भूमि आबंटन हेतु लागू सशर्तताएं कर्नाटक राजपत्र की दिनांक 16 मार्च 1989 की अधिसूचना में पहले से अधिसूचित सशर्तताओं के आधार पर दरमान के अध्याय VI के अन्तर्गत निर्धारित की थी। सुरक्षा दीवार के भीतर निर्यात कार्गो के भण्डारण के लिए भूमि आबंटन को अधिशासित करने के लिए अलग से कोई सशर्तता निर्धारित नहीं की थी क्योंकि एनएमपीटी ने अपने तात्कालिक प्रस्ताव में उन्हें शामिल नहीं किया था।

2.2. तत्पश्चात, सुरक्षा चार दीवारी के बाहर अल्पकालिक लाइसेंस आधार पर अर्ध स्टेक यार्ड हेतु लाइसेंस शुल्क अनुमोदित करते समय इस प्राधिकरण ने दिनांक 5 नवंबर 2001 के अपने आदेश द्वारा, दिनांक 9 अगस्त 2001 में निर्धारित भूमि आबंटन सशर्तताओं पर जोर दिया है।

2.3. इस प्राधिकरण द्वारा, एनएमपीटी के भूमि पट्टा किरायों को दिनांक 31 जनवरी 2005 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था यह परिश्रम सरकारी

मार्गदर्शियों के अनुसार पट्टा किरायों में संशोधन तक ही सीमित था। एनएमपीटी ने उस समय सामान्य सशर्तताओं में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया था।

3.1. एनएमपीटी ने, निर्यात कार्गो की ढेरियां लगाने के लिए भूमि-आबंटन से संबंधित कुछ सशर्तताओं में संशोधन के लिए निम्नलिखित आधारों को स्पष्ट किया है :-

- (i) निर्यातकों के अनुरोध पर पत्तन सामान्य सशर्तताओं और मासिक किराया आधार पर लौह अयस्क चूर्ण/इमारती लकड़ी/ग्रेनाइट के ढेर लगाने हेतु सुरक्षा चार दीवारी के भीतर/बाहर कुछ भूखंड आबंटित करता है और यह उम्मीद की गई थी कि आबंटनी आबंटन की तिथि से कम से कम छः माह के भीतर, पोतान्तरण के लिए कार्गो को हटा लेंगे।
- (ii) लौह अयस्क चूर्ण के निर्यात की शुरुआत में, निर्यातकों ने सामान्य रूप से इस अपेक्षा को पूरा किया था और आबंटित भूखंड का बिना किसी पोतान्तरण के, भण्डारण के प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया था।
- (iii) बाद में, यह देखा गया है कि कुछ निर्यातक थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कार्गो ला रहे हैं और बिना किसी पोतान्तरण के, महीनों-महीनों तक उसे वहां रखते हैं। अतएव, पत्तन जरूरतमंद निर्यातकों को जिनके पास कार्गो और पोतान्तरण के लिए निर्यात आदेश तैयार हैं, भूखंड आबंटित नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा पोतान्तरण न होने के कारण पत्तन पोत और कार्गो संबंधी आय अर्जित करने से भी वंचित किया जा रहा है।

3.2. पत्तन ने प्रचलित सशर्तताओं में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किए हैं जो अवरोधक के रूप में काम करेंगे और आबंटित भूखंड का दुरुपयोग होने से बचाएंगे।

- (i) यदि लाइसेंस धारक अतिक्रमित क्षेत्र से सामान्य हटाने में असफल रहता है तो उस पर दण्डात्मक दर लगाई जा रही है जो सामान्य दर की पांच गुना से अधिक नहीं है। इसके विरुद्ध इसने तीन स्तरों पर दण्डात्मक दर लगाने का प्रस्ताव किया है :-
 - (क) 3 माह तक सामान्य लाइसेंस शुल्क के दो गुना
 - (ख) 3 माह से अधिक 7 माह तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का चार गुना
 - (ग) उसके बाद सामान्य लाइसेंस शुल्क का दस गुना।
- (ii) लाइसेंस शुल्क के विलम्बित भुगतान के लिए दण्ड-ब्याज, 15% के वर्तमान दण्डात्मक ब्याज के मुकाबले, समय-समय पर लागू दर पर प्रस्तावित की गई है।

- (iii) प्रस्तावित जमाराशि को, तीन माह के लाइसेंस शुल्क से घटाकर एक माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर कर दिया गया है।

3.3. इनके अलावा, एनएमपीटी ने, इस प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा दीवार के बाहर के लिए 9 अगस्त 2001 के अपने आदेश में अनुमोदित वर्तमान सशर्तताओं और सुरक्षा दीवार के भीतर से संबंधित, मई 1987 के कर्नाटक सरकार के राजपत्र में अधिसूचित सशर्तताओं को आमेलित करने का प्रस्ताव किया है। एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक संशोधन इस प्राधिकरण की प्रेक्षणाओं के साथ अनुवर्ती विश्लेषण में सारणीबद्ध है। पत्तन ने भूखंड-आबंटन के लिए वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन/सुधार प्रस्तावित नहीं किया है।

4.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, एनएमपीटी से प्राप्त प्रस्ताव सम्बद्ध उपयोगकर्ता संगठनों को, उनकी टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए परिपत्रित किया गया था।

4.2. उपयोगकर्ता/उपयोगकर्ता-संगठनों से प्राप्त टिप्पणियां प्रतिपूरक सूचनाओं के रूप में एनएमपीटी को भेजी गई थी। एनएमपीटी ने कुछ उपयोगकर्ता/उपयोगकर्ता संगठनों की टिप्पणियों का उत्तर दिया है।

5.1. न्यू मैंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) का प्रस्ताव मुख्य रूप से अतिक्रमण/अनाधिकृत कब्जे के लिए वर्तमान दण्डात्मक लाइसेंस शुल्क में संशोधन के लिए और लाइसेंस शुल्क की अदायगी में विलम्ब के लिए ब्याजदर की दण्डात्मक दर में संशोधन के लिए है। उपयोगकर्ताओं ने एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित इन संशोधनों के प्रति कोई बिन्दुवार आपत्ति भी नहीं उठाई है। उन्होंने पत्तन की सुरक्षा चार दीवारी के भीतर/बाहर भूखंडों के आबंटन को शासित करने वाली वर्तमान सशर्तताओं में कुछ परिवर्तन सुझाए हैं। उपयोगकर्ता एसोसिएशन द्वारा दिए गए सुझाव केवल सामान्य शर्तों से संबंध रखते हैं। एनएमपीटी ने उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। चूंकि इस मामले में जिन उपयोगकर्ताओं से परामर्श लिया गया, उनकी ओर से कोई बिन्दुवार आपत्ति नहीं थी, इस मामले में संयुक्त सुनवाई आयोजित करना आवश्यक नहीं समझा गया।

5.2. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रियाएँ इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेख पर उपलब्ध हैं। संबद्ध उपयोगकर्ता/उपयोगकर्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियों के सारांश सभी संबद्ध पक्षों को अलग से भेजे जाएंगे। ये विवरण हमारे वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध है।

6.1. एनएमपीटी का यह प्रस्ताव, पत्तन सम्पत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उनके सारोकार से उत्पन्न हुआ है। जैसाकि पत्तन ने बताया है, अल्पकाल आधार पर कार्गो के भंडारण के लिए आबंटित भूखंड का, कुछ निर्यातकों द्वारा दुरुपयोग

किया जा रहा है जो उन्हें आबंटित भूखंड कोई पोतान्तरण किए बिना, महीनों-महीनों अपने पास रखते हैं। इस प्रकार पत्तन उन जरूरतमंद निर्यातकों को भूमि आबंटित नहीं कर पाता जिनके पास पोतान्तरण के लिए कार्गो तैयार होता है। परिणामस्वरूप, इस का प्रभाव इसके राजस्व अर्जन पर पड़ता है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए इसने भूमि पर अनाधिकृत कब्जे, भूमि के अतिक्रमण इत्यादि के लिए कुछ प्रचलित दण्डात्मक प्रावधानों में सुधार करने का प्रस्ताव किया है। भूमि पर इस प्रकार के अनाधिकृत कब्जे, भूमि पर अतिक्रमण इत्यादि के लिए प्रचलित दण्डात्मक लाइसेंस शुल्क, सामान्य लाइसेंस शुल्क का पांच गुना की दर से लगाया जाता है। अब इसे अधिक अवधि तक ठहरने के लिए, दण्डात्मक लाइसेंस शुल्क में धीरे-धीरे वृद्धि के साथ तीन स्तरों में प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित संशोधन के प्रति किसी भी उपयोगकर्ता ने कोई भी आपत्ति व्यक्त नहीं की है। इस स्थिति में यह प्राधिकरण प्रस्तावित संरचित दण्डात्मक लाइसेंस शुल्क को अनुमोदित करने को प्रवृत्त है।

6.2. एनएमपीटी ने उपयोगकर्ताओं द्वारा विलम्ब से भुगतान किए जाने पर लगने वाली दण्डात्मक ब्याज दर को विनिर्दिष्ट नहीं किया है। इसने, ऐसे मामलों में समय-समय पर लागू दर पर दण्डात्मक ब्याज लगाने का प्रस्ताव किया है। एक विशिष्ट दण्डात्मक-दर निर्धारित कर देना उचित होगा संयोगवश भूमि नीति पर मार्च 2004 के सरकारी मार्गदर्शी विलम्बित भुगतान पर कोई दण्डात्मक दर निर्धारित नहीं करते। संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.18.2 विलम्बित भुगतानों/धनवापसियों के लिए, भा.स्टे.बैंक की पीएलआर से 2% अधिक दण्डात्मक ब्याज निर्धारित करती है जो अन्य प्रशुल्क मदों पर भी लागू की जा रही है। इस प्राधिकरण ने, नवम्बर 2001 में अध-पके स्टेक यार्ड के लिए भूमि आबंटन को शासित करने वाली सशर्तताएं अनुमोदित करते समय स्पष्ट किया था कि विलम्बित भुगतान के लिए उसके दरमान में निर्धारित दण्डात्मक ब्याज दर इस प्रयोजन के लिए भी लागू की जानी चाहिए। यहां तक कि 1969 का कर्नाटक राजपत्र अधिसूचना भी विलम्बित भुगतान के लिए विशिष्ट दण्डात्मक ब्याज दर दर्शाती है। इस स्थिति के प्रकाश में, उपयोगकर्ताओं द्वारा विलम्बित भुगतान पर दण्डात्मक ब्याज की दर से संबंधित प्रस्तावित प्रावधान को 13% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ अद्यतन किया गया है जो संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.18.2 के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के प्रचलित प्राइम लैन्डिंग रेट (पीएलआर) से 2% अधिक है।

6.3. वर्तमान और प्रस्तावित सशर्तताएं वह समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं करतीं जिनके भीतर पत्तन जमानत राशि की धनवापसी करेगा जैसाकि कनारा चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) और न्यू मैंगलौर पत्तन क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेन्ट्स एसोसिएशन (एनएमपीसीएएफएए) ने ठीक ही यह उल्लेख किया है कि जब आबंटियों द्वारा लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाती है तो पत्तन द्वारा धनवापसी के लिए भी ऐसी ही एक शर्त लागू की जानी चाहिए। संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शी, उपयोगकर्ताओं द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि से 20 दिन की समय-सीमा निर्धारित करते हैं जिसके बाद विलम्बित धन

वापसी के लिए पत्तन दण्डात्मक ब्याज का भुगतान करेगा। यह एनएमपीटी के दरमान में अन्य प्रशुल्क मदों के लिए पहले से ही शामिल है। अल्प अवधि आधार पर आबंटित एनएमपीटी भूमि के मामले में भी ऐसी ही शर्त निर्धारित की गई है। लाइसेंस धारकों द्वारा विलम्बित भुगतान के लिए निर्धारित दण्डात्मक ब्याज दर एनएमपीटी द्वारा जमानत राशि की विलम्बित धन वापसी के मामले में भी समान रूप से लागू होगी। पत्तन द्वारा जमानत राशि की धनवापसी से संबंधित ग (VII) पर प्रस्तावित प्रावधान को आवश्यकतानुसार संशोधित कर लिया गया है।

6.4. मासिक आधार पर सुरक्षा दीवार के बाहर/भीतर कार्गो के भंडारण के लिए भूमि-आबंटन को शासित करने वाली कुछ सशर्तताओं “अध्यक्ष”, “यातायात प्रबंधक”, “मुख्य अभियंता” इत्यादि को शक्तियां प्रत्यायोजित करना चाहती हैं। इस प्राधिकरण की यह सतत / अनवरत परम्परा है कि वह पत्तन न्यासों के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राधिकार प्रत्यायोजित करने का प्रावधान विनिर्दिष्ट नहीं करता है। ऐसे सभी मामलों में यह प्राधिकरण (प्रस्तावित पदाधिकारियों के स्थान पर) संबंधित पत्तन के ही नाम का उल्लेख करता आया है और प्रत्यायोजन के बारे में निर्णय लेने का दायित्व पत्तन न्यासों पर ही डालता आ रहा है। तदनुसार, पत्तन ने जहां कहीं व्यक्तिगत अधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया है वहां, “एनएमपीटी या एनएमपीटी के प्राधिकृत अधिकारी” ये शब्द शामिल कर लिए जाएं।

6.5. ग (III) पर वर्तमान प्रावधान कहता है कि लाइसेंस शुल्क भूमि / स्थान के आबंटन / कब्जे की तिथि से देय होगा। कनारा चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) और न्यू मैंगलोर पोर्ट क्लियरिंग एंड फार्वर्डिंग एजेन्ट्स एसोसिएशन (एनएमपीसीएफए) ने इस प्रावधान में इस आशय का संशोधन करने का सुझाव दिया है कि लाइसेंस शुल्क या प्रभार या तो लाइसेंस धारक द्वारा आबंटन पत्र प्राप्त करने की तिथि से या भूमि / स्थान का कब्जा प्राप्त करने की तिथि से इनमें से जो भी पहले हो, दर-अनुसूचि में वर्णित दर के अनुसार देय होना चाहिए। उपयोगकर्ता एसोसिएशनों द्वारा दिया गया सुझाव न्याय संगत पाया गया है और, इसलिए, स्वीकार किया जाता है।

6.6. ग(VIII) पर प्रस्तावित शर्त एनएमपीटी को किसी भी समय भूमि/स्थान का कब्जा पुनः प्राप्त करने का अधिकार देती है। 2004 के सरकारी मार्गदर्शियों में भूमि लाइसेंस पर आबंटित होने पर इस प्रकार की शर्त का उल्लेख एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि एनएमपीटी की प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में उन्हें 15 दिन की अवधि का नोटिस दिया जाना चाहिए। एनएमपीटी ने भी यह माना है कि सामान्यतया लाइसेंस धारक को, आबंटित भूमि/स्थान अधिग्रहित करने की पत्तन की मनशा के बारे में नोटिस दिया तो जाता है किन्तु उसने समय-अवधि का विनिर्देश नहीं किया है। उपयोगकर्ता एसोसिएशनों द्वारा उठाए गए बिन्दु और एनएमपीटी द्वारा रखे गए उसके पक्ष की दृष्टि से प्रस्तावित शर्त में इस आशय का संशोधन किया जाता है कि लाइसेंस धारक को आबंटित भूमि / स्थान का पत्तन द्वारा कब्जा पुनः ग्रहण किए जाने से पहले पत्तन द्वारा

6 माह से कम के लाइसेंस के मामले में 7 दिन का और 6 माह से अधिक किन्तु 11 माह से कम के लाइसेंस के मामले में 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। अनाधिकृत कब्जे या लाइसेंस अवधि सामान्य रूप से समाप्त होने के मामले में इस तरह के नोटिस की आवश्यकता नहीं रहती है।

6.7. एनएमपीटी ने प्रस्ताव किया है कि नियमों की व्याख्या के मामले में जब कभी कोई शंका पैदा होगी तो उसका समाधान पत्तन न्यास मण्डल की उपसमिति करेगी। इस प्रावधान ने दिनांक 9 अगस्त 2001 के अपने पिछले आदेश के माध्यम से पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 ने संस्थान के साथ ही इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान की व्याख्या करने का अधिकार न्यासी मण्डल को नहीं रहेगा। दरमान के प्रावधानों के विषय में किसी विवाद / संदेह के मामले में केवल यह प्राधिकरण ही उसका समाधान करेगा अथवा स्पष्ट करेगा।

6.8. दरमान में यह उल्लेख करते हुए एक सामान्य नोट शामिल किया गया है कि मासिक लाइसेंस प्रभार आधार पर सुरक्षा दीवार की भीतरी / बाहरी आबंटित भूमि को शासित करने वाली सशर्तताएँ केवल उसी सीमा तक लागू होंगी जिस सीमा तक वे मार्च 2004 में सरकार द्वारा घोषित उन नीति मार्गदर्शियों में निर्धारित शर्तों का विरोध नहीं करती हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई लाइसेंस अधिकतम 11 माह की अवधि के लिए ही होगा और लाइसेंस का प्रत्येक नवीकरण मार्च 2004 में सरकार द्वारा जारी भूमि नीति मार्गदर्शियों की धारा 5.1.1 ख और 5.2.2 (घ) के अनुसार नया लाइसेंस माना जायेगा।

7. इस प्राधिकरण द्वारा 9 अगस्त 2001 के आदेश के माध्यम से अनुमोदित सशर्तताओं और एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित सशर्तताओं के साथ-साथ उन पर टिप्पणियाँ सारणीबद्ध रूप में नीचे दी गई हैं:

दिनांक 9 अगस्त 2001 के आदेश के अनुसार अनुमोदित सशर्तताएँ	एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधन	प्राधिकरण की अभ्युक्तियाँ
क आबंटन		
मासिक लाइसेंस आधार पर न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास की सुरक्षा चारदीवारी के बाहर अपने सामान के भण्डारण के लिए भूमि का आबंटन वाले व्यक्तियों को समय समय पर एनएमपीटी द्वारा निर्धारित फार्म में लिखित रूप में लाइसेंस के	अपने सामान के भण्डारण के लिए सुरक्षा चारदीवारी के बाहर या न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास की सुरक्षा चार दीवारी के भीतर मासिक लाइसेंस आधार पर भूमि अथवा जगह का आवंटन चाहने वाले लोग एनएमपीटी द्वारा समय-	1. प्रस्तावित शर्त स्वीकार की जाती है। 2. शक्ति प्रत्यायोजित करना और किसी अधिकारी को विनिर्दिष्ट करना पत्तन की प्रशासनिक इच्छा पर निर्भर है। किसी अधिकारी को विनिर्दिष्ट करने के बजाय,

<p>लिए आवेदन करना होगा । किन्तु यह एनएमपीटी के विवेक पर निर्भर होगा कि वह भूमि का आबंटन करे अथवा न करे ।</p>	<p>समय पर निर्धारित फार्म में लाइसेंस के लिए मुख्य अभियंता या यातायात प्रबंधक को लिखित रूप में आवेदन कर सकते हैं । किन्तु यह अध्यक्ष की इच्छा या विवेक पर निर्भर है कि वह किस प्रकार की भूमि या जगह आबंटित करे व न करे । आबंटित जगह अथवा अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना किराये पर नहीं दी जा सकेगी ।</p>	<p>जैसा कि एनएमपीटी ने प्रस्तावित किया है, एनएमपीटी लिख देना भर पर्याप्त होगा ।</p> <p>3. मार्च 2004 में जारी सरकारी मार्गदर्शी, लाइसेंस पर भूमि आवंटन के मामले में किराये पर देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं करते हैं । पट्टेदारी के मामले में, मार्च 2004 में नौवहन, सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय द्वारा जारी भूमि नीति मार्गदर्शियों की धारा 5.2.13 (ख) पत्तन की पूर्व अनुमति प्राप्त करने , के बाद पट्टे पर लिये गये परिसर को किराये पर / आंशिक रूप से किराये पर देने के लिए अनुमति प्रदान करती है और यह पत्तन की भूमि उपयोग योजना में वर्णित प्रयोजन के लिए होनी चाहिए और यह भूमि सीमा शुल्क बन्धित क्षेत्र से बाहर होनी चाहिए । इस विषय में यह बताने के लिए एक सामान्य टिप्पणी शामिल की गई है । सुरक्षा चारदीवारी के भीतर / बाहर लाइसेंस शुल्क को शासित करने वाली सशर्तताएँ / टिप्पणियाँ उस सीमा तक लागू होंगी जहाँ तक वे सरकार द्वारा मार्च 2004 में आयोजित</p>
--	---	--

		भूमि नीति मार्गदर्शियों में निर्धारित शर्तों का विरोध नहीं करती ।
लाइसेंसधारक की जिम्मेदारियाँ		
<p>सामान के भण्डारण के लिए भूमि हेतु आवेदन करते समय भूमि के आवेदक इस प्रकार भण्डारित किये गये सामान के सभी जोखिम और जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे । भूमि पर कब्जा अथवा अधिकार नीचे दी गई धारा (ग) में निहित शर्तों के अधीन होगा (जो लाइसेंस अनुबंध में पुनः प्रकाशित किया जायेगा । अतिक्रमण या एनएमपीटी भूमि की अनाधिकृत कब्जे, एनएमपीटी भूमि पर सामान का ढेर लगाना और एनएमपीटी रेलवे लाइन, सड़क / उपस्करों / पहुंच मार्गों इत्यादि पर सामान का ढेर लगाना इत्यादि जिससे लाइसेंसधारियों द्वारा यातायात की आवाजाही में बाधा पड़े पर जुर्माना का भुगतान करना होगा । जो दरमान में वर्णित लाइसेंस फी के पाँच गुना से अधिक नहीं होगा । यह एनएमपीटी सम्पत्तियों को पहुँची क्षति ठीक करवाने की लागत के अतिरिक्त होगा । यदि लाइसेंस धारक अतिक्रमण वाले क्षेत्र से, इस आशय</p>	<p>सामान / कार्गो के भण्डारण हेतु भूमि/स्थान के लिए आवेदन करते समय भूमि/स्थान के आवेदक इस प्रकार भण्डारित/ढेर लगाए सामान के लिए सभी जोखिम और जिम्मेदारियाँ स्वीकार करेगा । सुरक्षा चार दीवारी के बाहर और सुरक्षा चार दीवारी के भीतर भूमि के कब्जे का अर्थ होगा कि न्यास द्वारा, लाइसेंस धारियों को आबंटित शैडों पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से ताला लगाना बोर्ड को, तब तक इस प्रकार भण्डारित सामान का बैली (ballee) नहीं बना देगा, जब तक कि बोर्ड द्वारा इस विषय में एक पावती उन्हें नहीं देदी जाती । खुले में या ढके स्थान/भूमि में कब्जा नीचे उपधारा (ग) में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा (जो लाइसेंस विलेख/अनुज्ञापत्र/अनुबंध में) पुनः प्रकाशित किया जाएगा । लाइसेंस धारक द्वारा न्यास की भूमि पर अतिक्रमण या अनधिकृत कब्जा करना और न्यास की रेल-पटरियों, संयंत्रों, उपस्करों, पहुंच मार्गों इत्यादि पर</p>	<p>मई 1987 कर्नाटक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पत्तन को बैली (ballee) के रूप में न माने जाने की शर्त प्रचलित प्रावधान है जो सुरक्षा दीवार के भीतर अबंटित भूमि के लिए लागू है । ऐसा प्रस्ताव है कि यह शर्त सुरक्षा दीवार के भीतर/बाहर समान रूप से लागू की जाए । उपयोग कर्त्ताओं से कोई आपत्ति नहीं मिल रही है । इसलिए प्रस्तावित शर्त स्वीकार की जाती है । चूंकि प्रस्तावित संशोधन को आबंटित स्थान के दूरुपयोग से रोकने के लिए एक बाधा के रूप में उपयोग किया जाना है और इस बात को स्वीकार करते हुए कि उपयोगकर्त्ताओं ने इस बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई है, दण्डात्मक लाइसेंस शुल्क में प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार किया जाता है ।</p>

<p>का नोटिस दिए जाने के बावजूद सामान हटाने में असफल रहता है तो, सामान को एनएमपीटी द्वारा लाइसेंस धारी की जोखिम और लागत पर कहीं और हटाकर रख दिया जाये और इस प्रकार हटाये गये सामान द्वारा घेरी गई भूमि पर सामान्य दरों के पाँच गुना तक जुर्माना लगाया जायेगा ।</p>	<p>सामान/कार्गो का ढेर लगाने इत्यादि पर जिससे यातायात की आवाजाही में बाधा पड़ती हो, लाइसेंस धारी को न्यास की सम्पतियों को पहुंची क्षति के सुधार की लागत के अलावा न्यास के दरमान में वर्णित दर पर जुर्माना अदा करना होगा । यदि लाइसेंस धारी, अतिक्रमण वाले क्षेत्र से सामान हटाने का नोटिस दिए जाने के बाद भी सामान नहीं हटा पाता है तो सामान को पत्तन द्वारा लाइसेंस धारी के जोखिम और लागत पर कहीं और हटा दिया जाएगा और इस प्रकार हटाए गए सामान द्वारा घेरी हुई जमीन पर निम्नलिखित दर से दण्डात्मक लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा :-</p> <p>(क) तीन माह तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का दोगुना ।</p> <p>(ख) तीन माह से ऊपर और 7 माह तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का चार गुना ।</p> <p>(ग) उसके बाद सामान्य, लाइसेंस शुल्क का दस गुना ।</p>	
<p>ग. शर्तें</p>		
<p>(i) लाइसेंस विलेख के अंतर्गत भंडारित सामान पूरी तरह लाइसेंस धारियों के जोखिम और जिम्मेदारी पर होगा । एनएमपीटी उसकी उठाईगिरी, चोरी</p>	<p>लाइसेंस विलेख/अनुज्ञापत्र अनुबंध के अंतर्गत भंडारित सामान पूरी तरह लाइसेंस धारियों के जोखिम और जिम्मेदारी पर होगा । एनएमपीटी उसकी</p>	<p>कोई बड़ा परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है ।</p>

<p>आग लगने या क्षति की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। उन्हें आबंटित भूमि पर भंडारित अपने सामान की सुरक्षा और अन्यो द्वारा उस पर अनाधिकृत कब्जे को रोकने के लिए लाइसेंस धारी वहां अपना चौकीदार तैनात कर सकता है।</p>	<p>उठाईगिरी, चोरी, आग लगने या क्षति की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। लाइसेंस धारी उन्हें आबंटित भूमि पर भंडारित अपने सामान की और (अन्यो द्वारा उस पर अनाधिकृत कब्जे को रोकने के लिए अपना चौकीदार तैनात कर सकता है।</p>	
<p>(ii) लाइसेंस धारी लाइसेंस के अंतर्गत अधिकृत भूमि पर, एनएमपीटी की लिखित अनुज्ञा के बिना, कोई भवन, निर्माण सुविधाएं या कैन्टीन न तो बनाएगा और न लाकर रखेगा। लाइसेंसधारी ऐसे भवन निर्माण, सुविधाएं या कैन्टीन लाइसेंस समाप्त होने के समय हटाने और भूमि उसके मूल रूप में सौंपने के लिए सहमत होगा और यदि लाइसेंसधारी असफल रहता है तो एनएमपीटी लाइसेंस की लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर इस प्रकार निर्माणों को हटाने की व्यवस्था करेगा।</p>	<p>(ii) लाइसेंस धारी लाइसेंस के अन्तर्गत अधिकृत भूमि/स्थान पर, एनएमपीटी की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई भवन, निर्माण सुविधाएं या कैन्टीन न तो बनाएगा और न लाकर रखेगा। लाइसेंस धारी ऐसे भवन निर्माण, सुविधाएं या कैन्टीन लाइसेंस समाप्त होने के समय हटाने और भूमि /स्थान उसके मूल रूप में लौटने के लिए सहमति देगा और यदि लाइसेंसधारी असफल रहता है तो अध्यक्ष लाइसेंस की लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर इस प्रकार के निर्माणों को हटाने की व्यवस्था करेगा।</p>	<p>मार्च 2004 की भूमिनीति मार्गदर्शियों की धारा 5.2.2 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि लाइसेंस वाली भूमि पर कोई स्थाई निर्माण खड़ा नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन सरकारी मार्गदर्शियों को प्रतिबिम्बित करने के लिए किया गया है।</p>
<p>(iii) लाइसेंस शुल्क या प्रभार का भुगतान दरमान में वर्णित दर के अनुसार भूमि के आबंटन/कब्जे की तिथि से किया जाएगा और प्रत्येक कैलेन्डर माह के लिए अग्रिम रूप से जमा किया जाएगा अर्थात् प्रत्येक माह की पहली</p>	<p>(iii) लाइसेंस शुल्क या प्रभार का भुगतान मंडल के दरमान में वर्णित दर के अनुसार भूमि/स्थान के आबंटन कब्जे की तिथि से किया जाएगा और प्रत्येक कैलेन्डर माह के लिए अग्रिम रूप से अर्थात् प्रत्येक माह की पहली या</p>	<p>1. उल्लेख किया जा सकता है कि 14 मई 1987 के कर्नाटक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार सुरक्षा दीवार के भीतर आबंटित भूमि/स्थान के लिए लाइसेंस शुल्क या प्रभार के भुगतान की तिथि प्रत्येक माह की 5 वीं तिथि</p>

<p>तारीख से पहले जमा किया जाएगा।</p>	<p>पांचवीं तिथि से पहले वित्तिय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के पास जमा करवाया जाएगा। यदि भुगतान प्रत्येक माह की पहली या पांचवीं तारीख को, जैसा भी मामला हो, प्राप्त नहीं होता है तो लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त, जमा हुए बकाया पर, समय-समय पर लागू दर से दण्डात्मक ब्याज का भुगतान किया जाएगा। किसी भी स्थिति में लाइसेंस शुल्क, जिस दिन से अग्रिम लाइसेंस शुल्क देय हो जाता है, उस दिन से 15 दिन से अधिक इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। यदि लाइसेंस शुल्क, अधिक से अधिक, प्रत्येक माह की 15वीं तिथि तक प्राप्त नहीं होता है और भूमि लाइसेंस धारी के कब्जे में ही है तो देय तिथि से जब तक लाइसेंस शुल्क दिया जाए, तब तक सामान्य दर का दो गुना लगाया जाएगा।</p>	<p>है। सुरक्षा दीवार के बाहर के लिए लागू 16 मार्च 1989 की अधिसूचना के अनुसार भुगतान की तिथि प्रत्येक माह की पहली तारीख निर्धारित की गई है। पत्तन ने यह बताने के लिए दोनों शर्तों को आमेलित करने का प्रस्ताव किया है कि लाइसेंस शुल्क प्रत्येक माह की पहली या पांचवीं तारीख को, जैसा भी मामला होगा, देय होगा। उपयोगकर्ताओं की ओर से इस बारे में कोई आपत्ति नहीं दर्ज की गई है, प्रस्तावित संशोधन स्वीकार किया जाता है।</p> <p>2. दण्डात्मक ब्याज की एक विशिष्ट दर निर्धारित करना समुचित होगा। तदनुसार, उपयोगकर्ताओं द्वारा विलम्बित भुगतान पर दण्डात्मक ब्याज की दर के संबंध में प्रस्तावित प्रावधान 13% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ जो भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित पीएलआर से 2% अधिक है, अद्यतन किया जाता है।</p> <p>3. यदि भुगतान प्रत्येक माह की 15 वीं तिथि तक प्राप्त नहीं होता है तो सामान्य लाइसेंस शुल्क का दोगुना लगाने के बारे में शर्त 1987 की कर्नाटक राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित नहीं है। 1987</p>
--------------------------------------	---	--

		<p>की कर्नाटक राजपत्र अधिसूचना सुरक्षा दीवार के बाहर के लिए इस प्रकार का प्रावधान निर्धारित करती है। तथापि, इसे अगस्त 2001 के इस प्राधिकरण के आदेश में अनुमोदित नहीं किया गया था। दण्डात्मक ब्याज लगाने का प्रावधान आबंटी द्वारा भुगतान किए जाने में विलम्ब को भी समेट लेगा।</p> <p>4. कनारा चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) और न्यू मैंगलोर पोर्ट क्लियरिंग एंड फॉर्वर्डिंग एजेन्ट्स एसोसिएशन (एनएमपीसीएफए) ने यह बयान करने के लिए प्रावधान में संशोधन करने का सुझाव दिया है कि लाइसेंस शुल्क या प्रभार या तो लाइसेंस धारी द्वारा भूमि/स्थान का आबंटन पत्र प्राप्त करने की तिथि से या इनका कब्जा लेने की तिथि से देय होगा। उपयोगकर्ता असोसिएशन द्वारा दिया गया सुझाव युक्ति संगत जान पड़ता है और इसलिए स्वीकार किया जाता है। तदनुसार, प्रस्तावित शर्त का उस सीमा तक संशोधित किया जाता है।</p>
(iv) यदि लाइसेंस ज्यादा से ज्यादा, प्रत्येक माह की 15वीं तिथि तक पुनः नया	(iv) यदि लाइसेंस/परमिट ज्यादा से ज्यादा, प्रत्येक माह की 15वीं तिथि तक	<p>1. प्रस्तावित परिवर्तन अनुमोदित किया जाता है।</p> <p>2. जैसाकि पहले उल्लेख</p>

<p>नहीं करवा लिया जाता है तो उसे अपने कब्जे वाली भूमि को खाली करना होगा और यदि लाइसेंस धारक प्रदत्त लाइसेंस की समाप्ति की तिथि पर भूमि का खाली कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो उस पर भूमि पर स्थापित संरचना या निर्माण हटाने के बाद एनएमपीटी को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी संरचनाओं और उस भूमि में भंडारित सामान पतन की सम्पदा के किसी भी भाग में किसी भी अन्य वैकल्पिक भूमि में, लाइसेंस की लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर हटाकर रखवा सकता है। इसके अलावा एनएमपीटी (लाइसेंस पर) जितनी अवधि के लिए लाइसेंस दिया गया था उससे अधिक के लिए सामान पतन सम्पदा के भीतर रह गया होगा, उतनी अवधि के लिए जुर्माना लगाया जाएगा जो दरमान में प्रभार्य सामान्य लाइसेंस शुल्क के पांच गुना से अधिक नहीं होगा।</p>	<p>पुनः नया नहीं करवा लिया जाता है तो उसे अपने कब्जे वाली भूमि / स्थान को खाली करना होगा और यदि लाइसेंस धारक प्रदत्त लाइसेंस/परमिट की समाप्ति की तिथि पर भूमि/स्थान का खाली कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो उस पर भूमि/स्थान पर स्थापित संरचना या निर्माण हटाने के बाद अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी संरचनाओं और उस भूमि /स्थान में भंडारित सामान पतन के परिसर के किसी अन्य वैकल्पिक भूमि/स्थान या ढके हुए स्थान में, लाइसेंस की लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर हटवाकर रखवा सकता है और इसके अलावा इस प्रकार हटाए गए सामान द्वारा कब्जा की गई भूमि/स्थान पर निम्नलिखित दरों से जुर्माना लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा :-</p> <p>(क) 3 माह तक के लिए सामान्य लाइसेंस शुल्क का दोगुना।</p> <p>(ख) 3 माह से अधिक किन्तु 7 माह तक के लिए सामान्य लाइसेंस शुल्क का चार गुना।</p> <p>(ग) उसके बाद के लिए सामान्य लाइसेंस शुल्क का दस गुना।</p>	<p>किया जा चुका है, विशिष्ट अधिकारी के प्रति शक्तियों का प्रत्यायोजन संशोधित किया जाता है।</p> <p>3. प्रस्तावित जुर्माना लाइसेंस शुल्क ऊपर धारा "ख" में वर्णित कारणों से अनुमसोदित की जाती हैं।</p>
--	--	---

	<p>(v) परमिट उस कलैन्डर माह की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायेगा जिस माह के लिए वह जारी किया गया है । यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस को पुनः नया करवाना चाहता है तो अग्रिम शुल्क के भुगतान पर एफ ए और सीएओ द्वारा जारी रसीद के साथ पुनर्नवीकरण के लिए विधिवत आवेदन किया जाए और वह आवेदन परमिट की अवधि समाप्त होने से सात दिन पहले यातायात प्रबंधक के पास पहुँच जाना चाहिए । पुनर्नवीकरण के लिए लाइसेंस की वैधता की अवधि समाप्त होने से सात दिन पहले आवेदन करने में असफल रहने और शुल्कों तथा प्रभारों के भुगतान के लिए अपेक्षित रसीद अग्रेषित करने में असफल रहने पर जमा हो गई बकाया राशि पर समय-समय पर लागू दर से दण्ड ब्याज लगेगा और यह लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा । तथापि किसी भी हालत में, लाइसेंस शुल्क उस तिथि से, जिस तिथि को अग्रिम लाइसेंस शुल्क देय हो जाता है, से 15 दिन से अधिक इकट्ठा नहीं होनी चाहिए ।</p>	<p>1. इस प्राधिकरण के 9.8.2001 और 5.11.2001 के आदेश लाइसेंस के पुनः नवीकरण के लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं करते हैं । दिनांक 14 मई 1987 की कर्नाटक राजपत्र अधिसूचना तथापि, सुरक्षा दीवार के भीतर आबंटित भूमि के लिए यह शर्त निर्धारित करती है । इसने यह प्रावधान सुरक्षा दीवार के भीतर और बाहर दोनों ओर के लिए समान रूप से लागू करने का प्रस्ताव किया है । प्रस्तावित परिवर्तन अनुमोदित किया जाता है ।</p> <p>2. दण्डात्मक ब्याज दर जैसाकि ऊपर धारा ग (iii) में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, 13% प्रतिवर्ष अद्यतन करने की आवश्यकता है ।</p> <p>3. यह शर्त शामिल कनरे का निर्णय लिया गया है कि लाइसेंस, मार्च 2004 में सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शियों की धारा 5.2.2 (ख) के अनुसार अधिकतम ग्यारह माह (11 माह) के लिए होगी । सरकारी मार्गदर्शियों की धारा 5.1.1 (ख) के अनुसार लाइसेंस के प्रत्येक नवीकरण को नया लाइसेंस माना जायेगा ।</p>
	<p>(vi) कोई भी लाइसेंसधारी उसे / उन्हें आबंटित स्थान</p>	<p>1. यह प्रावधान सुरक्षा दीवार के भीतर और बाहर</p>

	<p>को यातायात प्रबंधक की लिखित अनुमति के बिना प्राइवेट ब्रॉडेड एरियाज में परिवर्तित नहीं करेगा । यातायात प्रबंधक से लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त न कर पाने पर निम्नानुसार जुर्माना लगाया जाएगा ।</p> <p>(क) तीन माह तक सामान्य लाइसेंस शुल्क की दो गुना ।</p> <p>(ख) तीन माह से अधिक और 7 माह तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का चार गुना ।</p> <p>(ग) उसके बाद सामान/कार्गो स्थान से ले जाए जाने तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का दस गुना ।</p>	<p>दोनों ओर आबंटित भूमि / स्थान पर समान रूप से लागू करने का प्रस्ताव किया गया है और प्रस्तावित प्रावधान प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किये जाते हैं ।</p> <p>2. यह मानते हुए कि प्रस्तावित संशोधन, आबंटित स्थान के दुरुपयोग से बचने के लिए रूकावट के रूप में है, दण्डात्मक लाइसेंस शुल्क में संशोधन ऊपर धारा ख में इस प्राधिकरण की प्रेक्षा के अनुरूप स्वीकार किया जाता है ।</p> <p>3. जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है, विशिष्ट अधिकारियों के प्रति शक्ति का प्रत्यायोजन के स्थान पर एनएमपीटी किया जाना है ।</p>
<p>(v) सभी लाइसेंसधारी लाइसेंस में सन्निहित शर्त के विधिवत और विश्वसनीय अनुपालन के लिए गारंटी के रूप में, लाइसेंस के तहत उन्हें आबंटित भूमि पर तीन माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर राशि एनएमपीटी के पास जमा करेंगे ।</p>	<p>(vii) इस विषय में, महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के अधीन, सभी लाइसेंसधारी लाइसेंस / परमिट में अभिव्यक्त शर्तों के विधिवत और विश्वसनीय निर्वाह की गारंटी के रूप में लाइसेंस / परमिट के तहत उन्हें आबंटित भूमि / स्थान पर एक माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर राशि बोर्ड के पास जमा करेगा और यह जमा राशि, बोर्ड को देय राशि काटते हुए, भूमि /</p>	<p>1. चूंकि प्रस्तावित जमा राशि से निस्सन्देह अधिकतर उपयोग-कर्ताओं को लाभ होगा, प्रस्तावित संशोधन अनुमोदित किया जाता है । महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 51 प्रस्तावित शर्त से सम्बद्ध नहीं है, अतएव यह संदर्भ निकाला जाता है ।</p> <p>2. तथापि, प्रस्तावित सशर्तता वह समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं करती जिसके भीतर पत्तन</p>

	<p>स्थान अन्तिम रूप से खाली करते समय लौटा दी जायेगी ।</p>	<p>जमानत राशि लौटाएगा । जैसाकि केसीसीआई और एनएमपीसीएफएए द्वारा ठीक ही उल्लेख किया गया है, किसी महापत्तन द्वारा धन वापसी के मामले में भी ऐसी ही शर्त लागू होनी चाहिए । संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शी सेवा-पूर्णता की तिथि से या उपयोगकर्ता की ओर से सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर देने की तिथि से, इनमें से जो भी बाद में हो, 20 दिन की समय-सीमा निर्धारित करते हैं । धनवापसी में इससे अधिक विलम्ब होने पर पत्तन को जुर्माना ब्याज भरना पड़ेगा । एनएमपीटी के दरमान में यह अन्य प्रशुल्क मदों के लिए पहले से निर्धारित है । लाइसेंस पर एनएमपीटी भूमि आबंटित होने के मामले में भी ऐसी ही शर्त निर्धारित है । लाइसेंसधारक द्वारा विलम्ब से भुगतान के लिए निर्धारित 13% प्रतिवर्ष की जुर्माना (दण्डात्मक) ब्याज दर एनएमपीटी द्वारा जमानत राशि विलम्ब से वापिस करने पर भी लागू होगी ।</p>
<p>(vi) एनएमपीटी को उस भूमि का कब्जा, कभी भी पूरी तरह या आंशिक रूप से ग्रहण करने का अधिकार होगा जिसकी</p>	<p>(viii) मुख्य अभियंता / यातायात प्रबंधक को उस भूमि /स्थान का कब्जा, कभी भी, पूरी तरह या आंशिक रूप से ग्रहण करने</p>	<p>1, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, किसी अधिकारी को विनिर्दिष्ट करने के बजाए, एनएमपीटी का उल्लेख</p>

<p>पत्तन को जरूरत होगी / जो लाइसेंसधारी के कब्जे में नहीं होगा। इस स्थिति में लाइसेंस शुल्क में समानुपातिक रूप से कमी की जाएगी। भूमि के ऐसे पुनर्ग्रहण या कब्जे के मामले में लाइसेंसधारी को (पत्तन द्वारा) ऐसे पुनर्ग्रहण या कब्जा करने या लाइसेंसधारी द्वारा उस भूमि पर किए गए सुधार (निर्माण) को हटाने और कहीं और ले जाने के कारण किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।</p>	<p>का अधिकार होगा जिसकी पत्तन को जरूरत होगी / जो लाइसेंसधारी के कब्जे में नहीं होगा। इस स्थिति में लाइसेंस शुल्क में समानुपातिक रूप से कमी की जाएगी। भूमि के ऐसे पुनर्ग्रहण या कब्जे के मामले में लाइसेंसधारी को (पत्तन द्वारा) ऐसे पुनर्ग्रहण या कब्जा करने या लाइसेंसधारी द्वारा इस भूमि पर किए गए सुधार (निर्माण) को हटाने और कहीं और ले जाने के कारण किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।</p>	<p>करना पर्याप्त है। 2. नोटिस अवधि को विनिर्दिष्ट करने के लिए जैसा कि ऊपर पैरा 7.6 में उल्लेख किया गया है, शर्त को संशोधित किया जाना चाहिए।</p>
<p>(vii) लाइसेंसधारी, समय-समय पर एनएमपीटी द्वारा जारी सभी नियमों या निदेशों का अनुपालन करने पर सहमत होगा। यदि लाइसेंसधारी नियमों या निदेशों का अनुपालन करने में लापरवाही बरतते हैं तो एनएमपीटी लाइसेंस समाप्त कर सकती है।</p>	<p>(ix) लाइसेंसधारी, समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी सभी नियमों या निदेशों का अनुपालन करने पर सहमत होगा। यदि लाइसेंसधारी नियमों या निदेशों का अनुपालन करने में लापरवाही बरतते हैं तो अध्यक्ष लाइसेंस को रद्द भी कर सकते हैं।</p>	<p>कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।</p>
<p>(viii) लाइसेंसधारी स्वीकार करेगा कि लाइसेंसधारी के आबंटित भूमि के विषय में पत्तन को देय सभी प्रकार के भुगतान और व्यय एनएमपीटी के दरमान में निर्धारित दरों पर वसूले जा सकेंगे।</p>	<p>(x) लाइसेंसधारी स्वीकार करेगा कि लाइसेंसधारी को आबंटित भूमि / स्थान के विषय में न्यास को देय सभी प्रकार के भुगतान और व्यय बोर्ड के दरमान में समय-समय पर निर्धारित दरों पर वसूले जा सकेंगे।</p>	<p>कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।</p>
<p>(ix) लाइसेंसधारी लाइसेंस के अन्तर्गत सामान के</p>	<p>लाइसेंसधारी लाइसेंस के अन्तर्गत सामान के भंडारण</p>	<p>कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।</p>

<p>भंडारण के विषय में विस्फोटक निरीक्षक, विस्फोटक विभाग, भारत सरकार के स्थानीय अधिकारियों द्वारा या किसी भी संबंधित द्वारा समय-समय पर जारी सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करेगा ।</p>	<p>के विषय में विस्फोटक निरीक्षक, विस्फोटक विभाग, भारत सरकार के स्थानीय अधिकारियों द्वारा या किसी भी संबंधित द्वारा समय-समय पर जारी सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करेगा ।</p>	
<p>(x) लाइसेंसधारी को (पत्तन द्वारा) भूमि के पुनर्ग्रहण या कब्जे के विरुद्ध आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास के न्यासी मंडल के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा और इस विषय में न्यासी मंडल का निर्णय अंतिम होगा ।</p>	<p>(xii) लाइसेंसधारी को (पत्तन द्वारा) भूमि के पुनर्ग्रहण या कब्जे के विरुद्ध आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास के न्यासी मंडल के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा और इस विषय में न्यासी मंडल का निर्णय अंतिम होगा ।</p>	<p>कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है ।</p>

9. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण, आदेश सं. टीएएमपी/18/2001-एनएमपीटी दिनांक 9 अगस्त 2001 में एनएमपीटी के दरमान के अध्याय vi में निर्धारित वर्तमान सशर्तताओं क, ख, ग (i) से (x) को परिशिष्ट में संलग्न सशर्तताओं से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लेता है ।

(अ.ल. बोंगिरवार)

अध्यक्ष

परिशिष्ट

आदेश सं. टीएएमपी/18/2001-एनएमपीटी दिनांक 9 अगस्त 2001 में अध्याय VI - भूमि आबंटन के अन्तर्गत निर्धारित वर्तमान संशर्तताओं क,ख,ग (i) से(x) तक को निकालकर प्रतिस्थापित की जाने वाली सशर्तताएँ निम्नानुसार हैं:

क अध्याय VI के लिए सामान्य टिप्पणी

इस अध्याय में निर्धारित दरों को शासित करने के लिए इसमें इसके अन्तर्गत वर्णित सभी शर्तें / टिप्पणियाँ उस सीमा तक लागू होंगी जिस सीमा तक वे फरवरी / मार्च 2004 में सरकार द्वारा घोषित भूमि नीति मार्गदर्शियों में निर्धारित शर्तों के विरुद्ध नहीं हैं । यदि मतभेद होता है तो भूमि नीति मार्गदर्शियों में सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें प्रचलित रहेंगी ।

ख. आबंटन

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) की सुरक्षा चार दीवारी के बाहर या सुरक्षा चार दीवारी के भीतर अपने सामान के भंडारण के लिए मासिक लाइसेंस आधार पर भूमि / स्थान का आबंटन चाहने वाले व्यक्ति, एनएमपीटी द्वारा समय-समय पर निर्धारित फार्म में लाइसेंस के लिए एनएमपीटी के समक्ष लिखित आवेदन कर सकते हैं । किन्तु यह एनएमपीटी के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह ऐसा स्थान/ भूमि आबंटित करे या आबंटित करने से मना कर दे । लाइसेंस पर दिए गए परिसर को किराए पर चढ़ा देना अनुमत नहीं होगा ।

ग लाइसेंसधारी की जिम्मेदारियाँ

सामान / कार्गो के भंडारण हेतु भूमि /स्थान के लिए आवेदन करने वालों को इस प्रकार भंडारित / जमा किए गए सामान के सभी जोखिम और जिम्मेदारियाँ स्वीकार करनी होंगी । लाइसेंसधारियों को सुरक्षा चार दीवारी के भीतर या बाहर आबंटित रूप से या पूर्णरूपेण आबंटित शैडों को एनएमपीटी द्वारा ताला

लगाना यह नहीं माना जाएगा कि एनएमपीटी को जब तक उस प्रकार भंडारित सामान का जमानतदार बना दिया है जब तक कि एनएमपीटी द्वारा इसविषय में उनके द्वारा एक रसीद नहीं पारित कर दी जाती। खुले में अथवा ढकी हुई भूमि / स्थान का कब्जा नीचे उप-धारा (घ) में अभिव्यक्त शर्तों के (जिन्हें लाइसेंस डीड / परमिट/ करारनामों में पुनः प्रकाशित किया जाएगा) अधीन होगा।

एनएमपीटी की भूमि का अतिक्रमण या उस पर अनधिकृत कब्जा और एनएमपीटी की रेल पटरियों, संयंत्रों, उपकरणों, पहुंच मार्ग इत्यादि पर / सामान कार्गो का ढेर लगाने पर जिसके कारण लाइसेंस धारी द्वारा यातायात की आवाजाही में रूकावट डाली जा रही हो, एनएमपीटी सम्पत्तियों को पहुँची क्षति के सुधार की लागत के अलावा (लाइसेंस को निम्नानुसार दण्डात्मक दर से भुगतान करना होगा। यदि लाइसेंसधारी अतिक्रमित क्षेत्र से, इस आशय का नोटिस दिए जाने के बाद भी, अपना सामान हटाने में असफल रहता है तो वह सामान एनएमपीटी द्वारा लाइसेंसधारी के जोखिम और लागत पर कहीं और हटा दिया जाएगा और इस प्रकार हटाए गए सामान द्वारा घेरी गई भूमि पर निम्नलिखित दरों पर जुर्माना लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा :-

- (क) तीन माह तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का दोगुना.
- (ख) तीन माह से अधिक और 7 माह तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का चार गुना।
- (ग) उसके बाद सामान्य लाइसेंस शुल्क का दस गुना।

घ. शर्तें

- (i) लाइसेंस डीड/परमिट/ करारनामा के अन्तर्गत भंडारित सामान पूरी तरह लाइसेंस धारी के जोखिम और जिम्मेदारी पर होगा। एनएमपीटी उसकी उठाईगीरी, चोरी, उसे आग लगने या उसकी किसी भी प्रकार की क्षति के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। लाइसेंसधारी आबंटित स्थान पर भंडारित सामान की सुरक्षा के अपना चौकीदार रखेगा तथा उन्हें आबंटित भूमि/स्थान को अन्यो के द्वारा अनाधिकृत कब्जे से बचाएगा।
- (ii) लाइसेंसधारी लाइसेंस डीड/परमिट के तहत अधिकृत भूमि/स्थान पर कोई स्थाई निर्माण, भवन, संरचना या सुविधा या कैटीन न तो बनाएगा और न लाकर स्थापित करेगा। लाइसेंसधारी लाइसेंस/परमिट की समयावधि समाप्त होने पर भूमि/स्थान उसकी मूल स्थिति में बहाल करेगा और यदि लाइसेंसधारी ऐसा करने में असफल रहता है तो एनएमपीटी लाइसेंसधारी की लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर ऐसी बहाली की व्यवस्था करेगा।
- (iii) लाइसेंस शुल्क या प्रभार का लाइसेंसधारी द्वारा आबंटन पत्र प्राप्त करने की तिथि से या लाइसेंसधारी द्वारा भूमि/स्थान का कब्जा प्राप्त करने

की तिथि से, इनमें से जो भी पहले हो, एनएमपीटी के दरमान में निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। लाइसेंस शुल्क प्रत्येक कैलेन्डर माह के लिए अग्रिम रूप से एनएमपीटी को अदा किया जाएगा अर्थात् प्रत्येक माह की पहली या पांचवीं तारीख से जैसा भी मामला हो, पहले यदि भुगतान निर्धारित तिथि से पहले प्राप्त नहीं होता है तो लाइसेंस शुल्क के अलावा जमा हो गई बकाया राशि पर 13% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा।

- (iv) यदि लाइसेंस/परमिट नवीनतम तिथि तक भी पुनः नया नहीं करवा लिया जाता है तो लाइसेंसधारी द्वारा अधिकृत भूमि/स्थान उसे खाली करना होगा। यदि लाइसेंसधारी प्रदत्त लाइसेंस/परमिट की समाप्ति की तिथि पर वहां स्थापित सभी निर्माण एवं संरचनाएं हटाने के बाद भूमि/स्थान का खाली अधिपत्य सौंपने में असफल रहता है तो एनएमपीटी को यह अधिकार होगा कि वह इस प्रकार की संरचनाओं को और ऐसी भूमि/स्थान में भंडारित सामान को, लाइसेंसधारी की लागत और जोखिम तथा जिम्मेदारी पर पत्तन परिसर के किसी भंग में किसी अन्य वैकल्पिक भूमि/खुले या ढके हुए स्थान पर स्थानान्तरित कर दें। इसके अलावा इस प्रकार हटाए गए सामान द्वारा घेरे गए स्थान पर निम्नलिखित दर पर जुर्माना लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा :-
- (क) तीन माह तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का दो गुना।
- (ख) तीन माह से अधिक तथा 7 माह तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का चार गुना।
- (ग) उसके बाद सामान्य लाइसेंस शुल्क का दस गुना।
- (v) जिस कैलेन्डर माह के लिए परमिट जारी किया गया था उसकी समाप्ति वह लाइसेंस स्वतः समाप्त हो जाएगा। लाइसेंस अधिकतम 11 माह (ग्यारह माह) की अवधि के लिए होगा और लाइसेंस शुल्क अधिसूचित दर-अनुसूची के अनुसार लगाई जाएगी। लाइसेंस का प्रत्येक पुनः नवीकरण नया लाइसेंस माना जाएगा। यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस का पुनः नवीकरण चाहता है तो जमा किए गए अग्रिम शुल्क के भुगतान पर एनएमपीटी द्वारा जारी की गई रसीद के साथ उसे पुनः नवीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए जो एनएमपीटी के पास परमिट-अवधि समाप्त होने से सात दिन पहले परमिट के पुनः नवीकरण के लिए आवेदन करने में और शुल्क तथा प्रभार की अदायगी के लिए अपेक्षित रसीद लगाने में असफल रहने पर इकट्ठा हो गई बकाया राशियों पर 13% वार्षिक की दर से दंड ब्याज लगेगा जो लाइसेंस शुल्क, उसतिथि से जिस तिथि को अग्रिम लाइसेंस शुल्क देय हो जाता है, 15 दिन से अधिक शेष नहीं रहना चाहिए।

- (vi) कोई भी लाइसेंसधारी, एनएमपीटी की लिखित अनुमति के बिना, उसे आंबंटित भूमि/स्थान को निजी बंधित क्षेत्र के रूप में तब्दील नहीं करेगा । एनएमपीटी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करने में असफल रहने पर निम्नानुसार दण्ड लगाया जाएगा :-
- (क) तीन माह तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का दो गुना ।
- (ख) तीन माह से अधिक तथा 7 माह तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का चार गुना ।
- (ग) उसके बाद जब तक आंबंटित स्थान से सामान/कार्गो निकाल नहीं लिया जाता तब तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का दस गुना ।
- (vii) सभी लाइसेंसधारी, लाइसेंस/परमिट के अन्तर्गत उन्हें आंबंटित भूमि/स्थान पर, लाइसेंस/परमिट के अन्तर्गत उन्हें आंबंटित भूमि/स्थान पर, लाइसेंस/परमिट में अभिव्यक्त शर्तों के विधिवत और विश्वसनीय निर्वाह की गारंटी के रूप में, एक माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर राशि एनएमपीटी के पास जमा करवाएंगे । यह जमा राशि, एनएमपीटी को देय राशि, यदि कोई हो, को घटाकर भूमि / स्थान अन्तिम रूप से खाली करते समय लौटा दी जायेगी । यदि यह जमानत राशि भूमि / स्थान अन्तिम रूप से खाली करने की तिथि से या लाइसेंसधारी द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि से 20 दिन के भीतर वापिस नहीं की जाती है तो एनएमपीटी इस प्रकार के विलम्बित भुगतान पर 13% प्रतिवर्ष की दर से दण्ड -ब्याज का भुगतान करेगा ।
- (viii) एनएमपीटी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय उस भूमि / स्थान का पूर्णरूप से आंशिक रूप से कब्जा पुनः प्राप्त कर सकता है जिसकी पत्तन को आवश्यकता है / जो लाइसेंसधारी ने कब्जे में नहीं लिया हुआ है । इस स्थिति में लाइसेंस शुल्क में समानुपातिक कटौती प्रदान की जायेगी । किसी भी स्थिति में एनएमपीटी, लाइसेंसधारियों को आंबंटित भूमि / स्थान की अधिपत्य पुनर्ग्रहण करने की अपनी इच्छा के बारे में छः माह से कम के लाइसेंस के मामले में 7 दिन का और 6 माह से अधिक (किन्तु 11 माह से कम) अवधि के लाइसेंस के मामले में 15दिन का नोटिस लाइसेंसधारी को देगा ।

अनाधिकृत कब्जा या अतिक्रमण के मामले में इस किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया जायेगा और पत्तन उसके द्वारा अपेक्षित भूमि / स्थान का अधिपत्य तुरंत ग्रहण कर लेगा । इस प्रकार के भूमि के आधिपत्य ग्रहण करने के मामले में लाइसेंसधारी को इस प्रकार के अधिग्रहण या आधिपत्य या उसके द्वारा भूमि पर संरचनाओं / निर्माणों को हटाने और

दूर ले जाने की मद में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।

- (ix) लाइसेंसधारी को भूमि के कब्जे के पुनर्ग्रहण के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास के न्यास मण्डल के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा और इस विषय में न्यास मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा ।
- (x) लाइसेंसधारी एनएमपीटी द्वारा समय-समय पर जारी सभी नियमों या निदेशों का अनुपालन करने के प्रति अपनी सहमति देगा । यदि लाइसेंसधारी इन नियमों या निदेशों के अनुपालन के प्रति लापरवाही या अनदेखी का व्यवहार करेगा तो एनएमपीटी उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है ।
- (xi) लाइसेंसधारी इस बात से सहमति व्यक्त करेगा उससे, उसे आबंटित भूमि / स्थान के विषय में पत्तन के प्रति समस्त देयताओं के भुगतान और व्यय की वसूली एनएमपीटी के दरमान में निर्धारित दरों के अनुसार की जायेगी ।
- (xii) लाइसेंसधारी लाइसेंस के अन्तर्गत सामान के भण्डारण के विषय में स्थानीय अधिकारियों या विस्फोटक निरीक्षक, विस्फोटक विभाग, भारत सरकार द्वारा या किसी भी अन्य संबंधित द्वारा समय-समय पर जारी सभी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करेगा ।
